

10 1253
25/03/15
MP 86
25/03/15

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र
लोक सभा के लिए निर्वाचन



नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 40, जमुई (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम चिराग कुमार पासवान

पिता/माता/पति का नाम रामविलास पासवान

उसका डाक पता मंत्री जी रोला, ग्राम+पौ०-शहबन्नी थाना+अंचल-अलीगढ़

उसका नाम 25-ए कांडिया बंगला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *[में समाविष्ट 148-अलीगढ़ (अ०जा०)

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 8 में क्रम सं० 753 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम शिव शंकर चौधरी है जो 40-जमुई (अ०जा०)

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *[में समाविष्ट 240-सिकंदरा (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र]

की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 133 में क्रम सं० 30 पर प्रविष्ट है।

तारीख 25/03/2019

शिव शंकर चौधरी
प्रस्थापक के हस्ताक्षर

भाग 2

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम एतद्वारा लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र। (नि समाविष्ट
विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक.....में क्रम
संख्यांक.....पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीकस्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्र० सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
		निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्र० सं०			
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ...

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है :

(ख) मैंने 37 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ग)(i)या (ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i)मुझे इस निर्वाचन में लोक जनशक्ति पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त ~~राष्ट्रीय~~ दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ग) (ii)मुझे इस निर्वाचन में ~~दल~~ द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में :-

(i).....(ii).....(iii)..... हैं।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं दुसाध **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो विहार राज्य के उस राज्य के संभूरी (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचितजाति/जनजाति हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 25.03.2019


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

**लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की --

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

हाँ/ नहीं

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक..... शून्य

(ii) पुलिस थाना (थाने)..... शून्य जिला (जिले)..... शून्य राज्य..... शून्य

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था..... शून्य

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)..... शून्य

(v) वह (वें) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था..... शून्य

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें..... शून्य

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... शून्य

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/ नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां और तारीख..... शून्य

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... शून्य

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं..... शून्य

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें)..... शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... शून्य


(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?

..... हाँ/ नहीं

यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे..... शून्य

- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है..... शून्य
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, ब्यौरे दीजिए शून्य
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि शून्य
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख शून्य
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेर रखता है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे शून्य
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेर नहीं रखती है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, कौन सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे शून्य
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है?..... (हां/नहीं)
-यदि हां, निरर्हन की तारीख शून्य

स्थान : जमुई



अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख : 25.03.2019

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाय)

12-53 (बजे)

10

(तारीख) को

25/03/2019

(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

नामनिर्देशन-पत्र की क्र० सं०

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में

निराग कुमार पांडेवान

*अभ्यर्थी / प्रस्थापक

40 जमुई (अ.स. ज०) सिविल क्षेत्र

निर्वाची पदाधिकारी

भाग 5

तारीख 25/03/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमुई

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 36 के

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

रिटर्निंग आफिसर